न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 224/2015

1 ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति कुमावत पेशा व्यापार निवासी वार्ड नं. 24 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 परमानन्द पुत्र रामचन्द्र जाति कुमावत पेशा व्यापार निवासी वार्ड नं. 18 शाहों के कुये के पास झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
3 अशोक कुमार पुत्र रामनिवास जाति महाजन पेशा व्यापार निवासी रोड़ नं. 2 झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नरसाराम पुत्र नानगराम जाति माली निवासी फौज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 मृतक कालुराम पुत्र नानगराम जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू नोट दौराने दावा देहान्त हो गया।
2/1 बसेसर पुत्र कालुराम जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2/2 मृतक कैलाश पुत्र कालुराम जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू नोट दौराने देहान्त हो गया।
2/2/1 श्रीमती कृष्णा पत्नी कैलाश।
2/2/2 पंकज पुत्र कैलाश।
2/2/3 मोहित पुत्र कैलाश समस्त जाति माली निवासीगण फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2/2/4 रीतु पुत्री कैलाश जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू नाबालिग जरिये वलिया कुदरती श्रीमती कृष्णा पत्नी कैलाश जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू माता खुद।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

2/3 ओमप्रकाश पुत्र कालुराम।
3 मृतक अजीतसिंह पुत्र नानगराम समस्त जाति माली निवासीगण फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
3/1 श्रीमती सुनिता पुत्री अजीतसिंह पत्नी सीताराम जाति माली निवासी पड़ाऊवाली ढ़ाणी तन डुण्ड़लोद तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4 बसन्तलाल पुत्र अजीतसिंह।
5 मालीराम पुत्र भूराराम समस्त जाति माली निवासीगण फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
6 पुरूषोतमलाल पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनू।
7 मृतक अजय कुमार पुत्र बुद्वराम।
7/1 जीवणी पत्नी बुद्वराम।
7/2 श्रीमती सजना पत्नी अजय कुमार।
7/3 योगेश पुत्र अजय कुमार।
7/4 अनुज पुत्र अजय कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।
8 सुनिल पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
9 विष्णु चौधरी पुत्र हरिप्रकाश जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 15 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
10 श्रीमती किरण देवी पत्नी पवन कुमार जाति जांगिड़ निवासी के.डी. सिल्वर 1039/68 देवाराम पार्क त्रिनगर नई दिल्ली 110035।
11 श्रीमती पिंकी बेरीवाल पत्नी प्रदीप कुमार जाति महाजन निवासी 28 ज्यानकी विधामन्दिर वार्ड नम्बर 13 मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
12 श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी पवन कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
13 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील झुंझुनू जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

14 नगर परिषद जरिये आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू दावा उनवानी नरसाराम बनाम मृतक कालुराम आदि दावा घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 122/2013।

अपील संख्या 02/2016

1 अजीतसिंह पुत्र नानगराम।
2 बसन्तलाल पुत्र अजीतसिंह समस्त जाति माली निवासीगण फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
3 अजय कुमार पुत्र बुदराम।
3/1 श्रीमती जीवणी पत्नी बुद्वराम।
3/2 श्रीमती सजना पत्नी अजय कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।
3/3 योगेश पुत्र अजय कुमार।
3/4 अनुज पुत्र अजय कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण इस्लामपुरा तहसील व जिला झुंझुनू नाबालिगान जरिये वलिया कुदरती मां श्रीमती सजना पत्नी अजय कुमार जाति जाट निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पटेन राजस्व अपील अधिकारी

1 नरसाराम पुत्र नानगराम जाति माली निवासी फौज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

2 मृतक कालुराम पुत्र नानगराम जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू नोट दौराने दावा देहान्त हो गया।

2/1 बसेसर पुत्र कालुराम जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

2/2 मृतक कैलाश पुत्र कालुराम जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू नोट दौराने देहान्त हो गया।

2/2/1 श्रीमती कृष्णा पत्नी कैलाश।

2/2/2 पंकज पुत्र कैलाश।

2/2/3 मोहित पुत्र कैलाश समस्त जाति माली निवासीगण फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

2/2/4 रीतु पुत्री कैलाश जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू नाबालिग जरिये वलिया कुदरती श्रीमती कृष्णा पत्नी कैलाश जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू माता खुद।

2/3 ओमप्रकाश पुत्र कालुराम।

3 मालीराम पुत्र भूराराम जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

4 ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार।

5 परमानन्द पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति कुमावत पेशा व्यापार निवासीगण झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

6 अशोक कुमार पुत्र रामनिवास जाति महाजन पेशा व्यापार निवासी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

7 पुरूषोतमलाल पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

8 सुनिल पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
9 विष्णु चौधरी पुत्र हरिप्रकाश जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 15 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
10 श्रीमतीं किरण देवी पत्नी पवन कुमार जाति जांगिड़ निवासी के.डी. सिल्वर 1039/68 देवाराम पार्क त्रिनगर नई दिल्ली 110035।
11 श्रीमती पिंकी बेरीवाल पत्नी प्रदीप कुमार जाति महाजन निवासी 28 ज्यानकी विधामन्दिर वार्ड नम्बर 13 मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
12 श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी पवन कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
13 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील झुंझुनू जिला झुंझुनू।
14 नगर परिषद जरिये आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
15 श्रीमती सुनिता पुत्री अजीत सिंह पत्नी सीताराम जाति माली निवासी पढ़ाऊवाली ढ़ाणी तन डुण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू दावा उनवानी नरसाराम बनाम मृतक कालुराम आदि दावा घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 122/2013।

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री उम्मेद राज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः–28-9-22

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 122/2013 में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो अपीले एक ही निर्णय के विरूद्व होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 से 14 व अपीलांट्स के विरूद्व भूमि खसरा नम्बर 2685 वाके कस्बा झुंझुनू के सन्दर्भ में दावा बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व विभाजन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 123 के अनुसार अचल सम्पति के दान से अन्तरण के लिए रजिस्टर्ड विलेख होना व न्यूनतम दो गवाहान द्वारा प्रमाणित होना व साबित होना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा 3 मे अनुप्रमाणित को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार दो या अधिक गवाहान द्वारा अन्तरण विलेख का निष्पादन निष्पादककर्ता द्वारा हस्ताक्षर या विलेख पर अपना चिन्ह उपस्थिति मे अंकित करना व उक्त गवाहान द्वारा अन्तरण विलेख को सत्यापित करना आवश्यक है। दावे की धारा 2 मे जमीन गत खसरा नम्बर 594/1 व गत खसरा नम्बर 594/2 हाल खसरा नम्बर 2685 रकबा 2.26 हैक्टर वाके कस्बा झुन्झुनूं होना व इस जमीन को नानगराम द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 नरसाराम व प्रतिवादी नं. 1/रेस्पोडेन्ट नं. 2 मृतक कालूराम को दान मे देने का कथन किया। उक्त कथन के समर्थन मे दावे मे यह दर्ज नही किया कि धारा 123 सम्पति अन्तरण अधिनियम के अनुसार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

तथाकथित दान पत्र को किस किस गवाहान ने सत्यापित किया। दान पत्र के कथन को साबित भी नही किया गया और न ही दान पत्र के बाबत गवाहान पेश किये गये। दान पत्र के आधार पर दावे का आधार बताया गया है। कथन को साबित करने के लिए नियमानुसार साक्ष्य पेश किया जाना आवश्यक है। आदेश 13 नियम 4 सि.प्र.सं. की पालना नही की गयी व दस्तावेजात पर प्रदर्श नही डाले गये। 2022(1)**RRT 68** पर सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि बिना प्रदर्श अंकित किये दस्तावेज को साक्ष्य मे नही पढ़ा जा सकता। आदेश 18 नियम 4 सि.प्र.सं. के अनुसार निर्णय मे दर्ज शपथ पत्र पेश नही किये गये। शपथ पत्रो मे न्यायालय द्वारा या सक्षम अधिकारी द्वारा शपथ नही दिलवायी गयी व न निर्णय मे दर्ज गवाह अधिनस्थ न्यायालय मे साक्ष्य के लिए उपस्थित हुये। इस प्रकार दावे का आधार तथाकथित दान पत्र साक्ष्य अधिनियम के द्वारा न प्रमाणित हुआ व न ही प्लीड किया गया। इस कारण दावा खारीज होने योग्य है व निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने निर्णय मे दावा डिक्री किये जाने के लिए वैध आधार दर्ज नही किया। अभिवचन का विवेचन नही किया व नही दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रदर्श डाले गये व न विवेचन किया। मुख्य परीक्षण के लिए शपथ जरूरी है व गवाहान की उपस्थिति जरूरी है। **AIR 2015** गोवाहाटी पेज 120 व **2015 RBJ** पेज 385 पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जब गवाह परीक्षित नही किये गये तो शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर नही लिया जाना चाहिये। इस प्रकार निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **2010(2)RRT Page 981** पर यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 व 65 के अनुसार दस्तावेजात की विषयवस्तु को साबित करना आवश्यक है व केवल प्रदर्श डाले जाने से दस्तावेज साबित नही होता। प्रस्तुत प्रकरण मे विचारण न्यायालय ने वादी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 के दस्तावेजात पर न प्रदर्श डाले व नही रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने साक्ष्य मे साबित किया। **2005 RBJ** पेज 46 पर यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रदर्श डाले बिना यह नही माना जा सकता कि न्यायालय ने दस्तावेज का अवलोकन किया या नही। यह सिद्वान्त भी प्रतिपादित किया है

भू-बन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

कि प्रत्येक विवाद बिन्दु पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये। विचारण न्यायालय ने विवाद बिन्दु के अनुसार विवेचन कर निर्णय पारित नही किया। इस कारण निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व है। दिनांक 26.08.2015 को आगामी पेशी दिनांक 4.11.2015 दी गयी थी। उक्त आदेशिका को काटकर अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये ही पत्रावली मे पेशीयां दी जाकर निर्णय व डिक्री गलत पारित की जबकि दी गई पेशी दिनांक 04.11.2015 के लिए नोटिस बोर्ड पर आगामी पेशी दिनांक 11.01.2016 दी गयी थी। इस पेशी से पूर्व बिना सूचना के गलत निर्णय व डिक्री पारित की गयी। दिनांक 07.10.2015 को प्रतिवादी नं. 2 कालूराम के बाबत आदेश 22 नियम 4 सि.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र को बिना नोटिस जारी किये ही उसी रोज स्वीकार कर लिया व बिना नोटिस जारी किये ही निर्णय व डिक्री पारित कर दी। तथाकथित शपथ पत्र दिनांकित 29.06.2015 को टाईप करवाना व सत्यापित करवाना व नोटेरी से सत्यापित करवाना अंकित है। दिनांक 29.06.2015 को विवाद बिन्दु ही कायम नही हुये थे। इससे जाहिर है कि विधि अनुसार कार्यवाही नही की गयी। अपीलान्ट्स के जबाब दावे के अनुसार विवाद बिन्दु कायम ही नही किये। अपीलान्ट्स ने दस्तावेजी साक्ष्य मे दावे निर्णय आदि प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की जिससे यह साबित है कि दान पत्र का तथ्य गलत है व पूर्व मे बटवारा हो चुका व सारभूत तथ्यो को छुपाकर दुर्भावनापूर्वक गलत दावा किया है। 2004 RBJ पेज 588 पर यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि पूर्व मे बटवारा होने पर पुनः बटवारे का दावा लाने का हक नही है। AIR 2010 पटना पेज 189 पर यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने से वास्तविक वाद कारण पैदा नही होता और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग है व दावा आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. के तहत खारिज किया जाना चाहिये। उक्त प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य से रेस्पोडेन्ट नं. 1/वादी की स्वीकृति तथाकथित दान पत्र न होने के बाबत है व अभिवचन मे स्वीकृति न्यायिक स्वीकृति मानी जायेगी। यह सिद्वान्त AIR 2019 कर्नाटक पेज 188 व AIR 1981 पेज 2085 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि स्वीकृति सबसे अच्छी साक्ष्य है और पक्षकार अपनी स्वीकृति से पाबन्द है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य अभिवचन दावे, निर्णय व इस बाबत जबाब दावे मे कथन का खण्डन न होते हुये भी बिना विवेचन के गलत निर्णय व डिक्री पारित कर दिया गया। 2021 RBJ पेज 406 मे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि प्रतिवादी के अनुपस्थित हो जाने पर दावा स्वतः ही साबित नही हो जाता। यह कि उक्त अनुसार अदालत मातहत की आदेशिका से यह स्पष्ट है कि आदेशिका मे कांटछांट कर गलत फायदा देने की नियत से विधि विरूद्व निर्णय व डिक्री पारित किया है। इसके अलावा अपीलान्ट्स के हक मे विक्रय पत्र होना दावे मे माना गया है ऐसी सूरत मे विक्रय पत्र जब तक निरस्त नही होते बाध्यकारी होते है। इस प्रकार दावे मे अनुतोष के लिए वादाधिकारी वैध रूप से प्लीडेड नही है व विचारण न्यायालय ने बिना विवेचन के बिना अभिवचन के अवलोकन के विधि विरूद्व निर्णय व डिक्री पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर. बी.जे. 2015(एच.सी.) पेज 385, आर.बी.जे. 2005 पेज 46, आर.आर.टी. 2010(2) पेज 981, आर.आर.टी. 2008(2) पेज 1320, ए.आई.आर. 1981(एस.सी.) पेज 2085, आर.बी.जे. 2004 पेज 589, ए.आई.आर. 2019 पेज 188, ए.आई.आर. 2010 पेज 189, आर.बी.जे. 2021 पेज 406 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रेस्पोडेंट संख्या 2 व अन्य अपीलांट्स तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 14 के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू की अदालत में दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा नम्बर 122/2013 पेश किया जिसमें अंकित किया कि कस्बा झुंझुनू में गत खसरा नम्बर 594 ता 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि नानगराम पुत्र रूपाराम उर्फ ठन्डाराम की खुद काश्त खातेदारी की भूमि थी तथा नानगराम की स्व अर्जित भूमि थी जिसके बाद में बटा नम्बर बन गये जो गत खसरा नम्बर 594/1 ता. 11 बिस्वा व गत खसरा नम्बर 594/2 ता. 8 बीघा 8 बिस्वा बने जिसके हाल खसरा नम्बर 2685 ता. 2.26 हैक्टेयर है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि को वादी रेस्पोडेंट संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 कालुराम जो दावा के वक्त मृत्यु हो जाने से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुंझुनूं

रेस्पोडेंट संख्या 2/3 मृतक कालू का पुत्र ओमप्रकाश है इस प्रकार से बहस प्रस्तुत करता के पिता कालूराम और वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 को इनके स्वर्गीय पिता नानगराम ने इनकी सेवाओं से खुश होकर उक्त वर्णित भूमि दिनांक 05.11.1971 व 11.11.1971 को जरिये दानपत्र यानि रजिस्टर्ड दानपत्र के दान कर उसी दिन कब्जा करवा दिया तथा दानपत्र तस्दीक होने तथा दानग्रहिताओं के दान स्वीकार कर कब्जा लेने के रोज ही रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2/1 के पिता कालूराम को 1/2—1/2 भाग का भूमि पर हक अधिकार प्राप्त हो गया और दानदाता नानगराम की टिनेन्सी का अवसान हो गया। दानदाता नानगराम की मृत्यु 1978 में हो गयी तो नानगराम के अन्य उतराधिकारियों से मिलकर राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तकरण संख्या 1399 भरा गया जो वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 के अधिकारों पर शून्य व बेअसर था क्योंकि नानगराम के अन्य तीनो पुत्रों भूराराम, गोगाराम व अजीतसिंह को अब दानपत्र हो जाने से भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रह गया था। उक्त नामान्तकरण संख्या 1399 जो गलत भरा गया था, उसमें नरसाराम और कालूराम व अन्य तीनो भाईयों का 1/5—1/5 गलत रूप से दर्ज चला आया क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 2/3 का पिता अशिक्षित व्यक्ति था इसलिए दानपत्र के आधार पर नामान्तकरण दुरूस्त नहीं करवाया। इस प्रकार से गलत रिकार्ड के आधार पर नानगराम के पुत्रों ने नाजायज फायदा उठाया तथा बिना अधिकार के ही भूराराम के पुत्रों मालीराम व रामावतार ने फौतगी नामान्तकरण दिनांक 21.05.2008 को अपीलांट के नाम तस्दीक विक्रय पत्र करवाकर भूमि को गलत आधारों पर विक्रय पत्र तस्दीक करवाया तथा गोगाराम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी शांति देवी ने फौतगी नामान्तकरण भरवाकर गलत विक्रय पत्र दिनांक 12.05.2008 को रेस्पोडेंट संख्या 6 लगायत 9 के हक में तस्दीक करवा दिया और नानगराम के एक पुत्र अजीत सिंह ने गलत रिकार्ड की आड़ में अपने पुत्र बसन्तलाल के हक में विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया जो रेस्पोडेंट संख्या 4 है। उक्त विक्रय पत्र नुमाईशी थे क्योंकि विक्रय पत्र करवाने वालो को ही भूमि में हक अधिकार नहीं था तो विक्रय पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपने हक में करवाने वालो को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हुए। उक्त दावा में सभी को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किये तथा तामील प्रोपर करवाई गई और जवाब दावा पेश करने तथा साक्ष्य सफाई का अवसर प्रदान करने के बाद भी दावे में प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 के हक में दावा डिक्री एवं निर्णित किया गया था। अपील ओमप्रकाश आदि बनाम नरसाराम आदि एवं अजीत सिंह आदि बनाम नरसाराम आदि में आरोप लगाया है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा कार्यवाही कर विचारण न्यायालय ने दावा निर्णित व डिक्री कर दिया। ओमप्रकाश आदि बनाम नरसाराम आदि में विचारण न्यायालय की आर्डरशीट का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलांट मूलदावे में प्रतिवादी नम्बर 5,6,7 के रूप में पक्षकार थे जो दावे की तलबी से विचारण न्यायालय में उपस्थित होने से बचते रहे है जिस पर दिनांक 03.01.2014 को उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू ने यह मानते हुए कि प्रतिवादीगण 5 लगायत 14 व 16 तलबी हेतु बार–बार समन तलवाना पेश होने पर तलबी से बच रहे है जिस पर तलबी दैनिक अखबार के माध्यम से करवाने का आदेश दिया और रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी ने दैनिक भास्कर अखबार दिनांक 11.01.2014 में समन साया करवाया तथा अखबार प्रति न्यायालय में पेश की। उस पर अपीलांट 5,6,7 ने वकील श्री जगदीशचन्द्र का वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी। इसके बाद दिनांक 09.06.2014 तक प्रतिवादीगण 5,6,7 ने दावे का जवाबदावा भी पेश नहीं किया तो वकील वादी की तरफ से जवाबदेही बन्द करने का आवेदन पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 02.07.2014 को प्रतिवादीगण 5,6,7 ने जवाबदावा पेश किया। प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.08.2015 को प्रतिवादीगण 5,6,7 उपस्थित नहीं आये और विचारण न्यायालय को प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में दावे में तनकीयात कायम करनी पड़ी परन्तु अपीलांट ने इस पेशी पर अनुपस्थित रहने का कारण नहीं दर्शाया है। इसके बाद विचारण न्यायालय ने दावे में दिनांक 14.09.2015 व दिनांक 21.09.2015 को भी उपस्थित नहीं आये। विचारण न्यायालय के दिनांक 07.10.2015 को भी बार–बार आवाज लगाने पर उपस्थित नहीं हुए। उसके पश्चात

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दिनांक 10.11.2015 की पेशी पर भी उपस्थित नहीं हुए क्योंकि अगर दिनांक की पेशी का ज्ञान होता तो न्यायालय में पेशी दुरूस्त कर दिनांक 10.11.2015 को तो विचारण में उपस्थित होते और विचारण न्यायालय में वादी ने अपने दावा के समर्थन में मुख्य चीफ के रूप में साक्ष्य शपथ पत्र के रूप में पेश की किन्तु प्रतिवादीगण 5,6 व 7 तथा अन्य कोई उपस्थित नहीं आया। दिनांक 23.11.2015 को विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण 5,6,7 को पुनः आवाज लगाई किन्तु न्यायालय में जिरह करने उपस्थित नहीं हुए। उस पर विचारण न्यायालय ने कई मौके प्रदान करने के पश्चात अपीलांट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई और अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर इनकी साक्ष्य बन्द की। इसके बाद मूलदावे में विचारण न्यायालय ने बहस हेतु दिनांक 27.11.2015 की पेशी दी और दिनांक 27.11.2015 को बहस सुनकर दिनांक 08.12.2015 को विचारण न्यायालय ने दावा निर्णित व डिक्री कर दिया। अपीलांट 5,6,7 यहां अपील में यह आरोप नहीं लगा सकते कि इन्हे दावे में अपना पक्ष पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया क्योंकि उक्त लोगो के वकील जगदीश चन्द्र जी के अन्य दावे भी विचारण न्यायालय में विचाराधीन है जो न्यायालय में उपस्थित रहते रहे है किन्तु अपीलांट 5,6,7 की हिदायत की वजह से ही दावे में अनुपस्थिति दी है जिसको यह नहीं कहां जा सकता कि विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री एकतरफा कार्यवाही कर विधि के प्रावधानो की अनदेखी की है। अपीलांट्स का अपील नम्बर 224/15 में लगाया गया आरोप सिद्व नहीं होता है। अपील नम्बर 02/2016 अजीत सिंह आदि बनाम नरसाराम आदि में भी आरोप लगाया है, कि एकतरफा कार्यवाही कर विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हक में निर्णय व डिक्री पारित कर दी जबकि अजीत सिंह, बसन्तलाल व अजय कुमार मूल दावे में अजीत सिंह प्रतिवादी नम्बर 2 बसन्तलाल प्रतिवादी नम्बर 3 और अजय कुमार प्रतिवादी नम्बर 9 के रूप में पक्षकार थे। इनके बाबत भी समझने हेतु विचारण न्यायालय की आर्डरशीट व पत्रावली का अवलोकन करना पड़ेगा। मूल दावे में अजीत प्रतिवादी नम्बर 2 और बसन्त प्रतिवादी नम्बर 3 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

रूप में थे जिनकी ओर से श्री शीशराम सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अजय की तामील जरिये अखबार दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 12.02.2014 को हुई और अजय की ओर से विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर विजयपांल एडवोकेट ने आईन्दा वकालतनामा पेश करने की मोहलत चाही। दिनांक 09.06.2014 को वकील वादी ने अजीत सिंह व बसन्त क्रमशः प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 का जवाबदावा बन्द करने का आवेदन पत्र पेश किया किन्तु प्रतिवादीगण 2 व 3 ने दिनांक 09.10.2014 को जवाबदावा पेश किया और प्रतिवादी नम्बर 9 को वकालतनामा पेश करने विजयपाल को बार–बार पेशियां दी जा रही थी। बड़े लम्बे अतंराल के बाद दिनांक 16.12.2015 को वकालतनामा भी पेश नहीं किया तथा न ही स्वंय ही उपस्थित हुआ जिससे प्रतिवादी नम्बर 09 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही हो गयी थी। इसके बाद दावे के निर्णय तक अपने खिलाफ एकतरफा कार्यवाही सेट असाईड करवाने का आवेदन पत्र पेश नहीं किया इसलिए प्रतिवादी संख्या 9 अजय का आरोप गलत साबित हो जाता है कि सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद प्रतिवादीगण 2 व 3 भी न्यायालय में दिनांक 26.08.2015 दिनांक 14.09.2015, दिनांक 21.09.2015, दिनांक 07.10.2015, दिनांक 10.11.2015 तथा दिनांक 23.11.2015 तक न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 23.11.2015 को प्रतिवादीगण 2 व 3 के खिलाफ भी एकतरफा कार्यवाही करनी पड़ी। अपील नम्बर 2/2016 का आरोप भी रेस्पोडेंट संख्या 2/1 व अदालत मातहत के विरूद्व विचारण के खिलाफ साबित नहीं कर सकते है। विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2015 कानूनी प्रावधानों का नियमानुसार पालना कर पारित किया गया है। तनकी संख्या 1 आया विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2685 ता 2.26 हैक्टेयर नानगराम पुत्र रूपराम उर्फ ठन्डा की स्व–अर्जित संपति थी जिसका दिनांक 05.11.1971 को उक्त नानगराम ने वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 को दान कर दी तथा उक्त तारीख को उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 को मिल गयी तथा नानगराम की खातेदारी समाप्त हो गयी। तनकी संख्या 2 वाद में वर्णित भूमि का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दानपत्र के पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 खातेदारी काश्तकार हो गये व काबिज है। तनकी संख्या 3 आया प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 14 वादीग्रस्त भूमि के अधिकार नहीं है क्योंकि दानपत्र को चेलेन्ज नहीं किया है। तनकी संख्या 4 आया विकय पत्र दिनांक 12.05.2008,21.05.2008,27.06.2008 तथा प्रतिवादीगण 12,13,14 के पक्ष में निष्पादित विकयपत्र व परमानन्द के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रभावहीन व शून्य है। उक्त तनकीयात कायम करने के बाद विचारण न्यायालय ने दानपत्र दिनांक 05.11.1971 को अवलोकन कर तथा साक्ष्य का अध्ययन कर निर्णय व डिकी रेस्पोडेंट 1 व 2 के पक्ष में पारित की है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। वाद वादी डिकी व निर्णित कर कस्बा झुंझुनू में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2685 ता 2.26 हैक्टेयर के 1/2 का खातेदार काश्तकार वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 व 1/3 के हक में किया गया है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की निर्णय व डिकी पारित की है। कस्बा झुंझुनू में नानगराम नामक व्यक्ति हुए जिनकी मृत्यु हो गई जिनके 5 पुत्रगण भूराराम,गोगाराम,कालूराम, अजीतसिंह व नरसाराम हुए, जिनमें भूराराम, गोगाराम और कालूराम का देहान्त हो गया। भूराराम के वारिसान मालीराम व रामवतार हुए जिनमें रामवतार की मृत्यु हो गई और मालीराम प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में पक्षकार है। गोगाराम तथा गोगाराम की पत्नी शांति देवी की भी मृत्यु हो गयी। कालूराम का भी दावे के दौरान देहान्त हो गया जिसके बसेसर, कैलाश और ओमप्रकाश दावे में पक्षकार है तथा अजीत सिंह की मृत्यु हो गयी, उनका वारिस बसन्तलाल पक्षकार है और नरसाराम जो रेस्पोडेंट संख्या 1 है। उक्त नरसाराम व कालूराम को इनके पिता नरसाराम ने अपनी स्व–अर्जित भूमि पुराने खसरा नम्बर 594 ता 8 बीघा 19 बिस्वा पुख्ता बारानी दोयम जिसके नये खसरा नम्बर 2685 ता 2.26 हैक्टेयर को दिनांक 05.11.1971 को जरिये पंजिकृत दानपत्र के रेस्पोडेंट संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2/3 के पिता स्वंय कालूराम को दान कर दी थी तथा दोनो भाईयों ने दानग्रहण कर उस भूमि पर दोनों भाई नरसाराम एंव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

कालूराम काबिज काश्त हो गये। जिस दानपत्र का इनके भाईयों को उसी दिन ज्ञान हो गया था तथा जीताराम, भूराराम के भी एतराज दान के दिनांक 05.11.1971 को दानपत्र पर उपस्थित है। दानपत्र नानगराम ने स्व–अर्जित भूमि का किया था जो दानपत्र निष्पादित करने व अपनी भूमि को दान देने में सक्षम था। विचारण न्यायालय एवं अन्य कही भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं हुआ कि नानगराम द्वारा दान की गई भूमि पैतृक हो या नानगराम के अलावा अन्य का कोई हक हिस्सा उस दिन पैदा होता हो क्योंकि मिसल हकीयत एंव गिरदावरियों एवं जमाबंदियों में कोई अंकन गैर व्यक्ति का नहीं रहा। दानपत्र को दिनांक 05.11.1971 के बाद किसी न्यायालय में चुनौती देकर खारिज नहीं करवाया गया एवं चुनौती तक नहीं दी गई इसलिए 50 वर्ष के लगभग किये गए दानपत्र को विधि विरूद्व नहीं माना जा सकता। आर.एल.डब्ल्यू 2019(1) एस.सी. पेज 393 में प्रतिपादित किया गया है कि वह उस सपंति में व्यवस्थित या स्थापित कब्जे के तहत व्यवस्थित कब्जे के तहत है। व्यवस्थित कब्जे का अर्थ है संपति पर ऐसा कब्जा जो पर्याप्त रूप से दीर्घकाल तक विद्यमान रहा और सही मालिक द्वारा उपमत किया गया। दिनांक 05.11.1971 को दानपत्र निष्पादित हो जाने के बाद रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अशिक्षित होने से नामान्तकरण तस्दीक नहीं करवा सके किन्तु राजस्व अभिलेख से संपति का नामान्तकरण न तो स्वत्व की रचना करता है और न ही उसे समाप्त करता है और न इसका स्वत्व पर कोई संभावित महत्व होता है जिसको आर.एल.डब्ल्यू 2019(3) एस.सी. पेज 2618 पर प्रतिपादित है। दानपत्र के बाद जब नानगराम की मृत्यु हुई तो गलती से वारिसान नामान्तकरण उक्त भूमि का भरा गया तो नानगराम के पांचो पुत्रों के नाम नामान्तकरण भरा गया जबकि नानगराम तो 1971 में ही अपनी भूमि का दान पत्र के माध्यम से अपने पुत्रों नरसाराम और कालूराम को पंजीकृत दानपत्र से भूमि का कब्जा व स्वामित्व दे चुके थे। आर. एल.डब्ल्यू 2009(2) आर.जे. 1291 एच.सी. के अनुसार नानगराम की भूमि पैतृक नही थी इसलिए दान देने में सक्षम था। आर.एल.डब्ल्यू 2008(1) आर.जे. पेज 420 के अनुसार दान विलेख को चुनौती नहीं दी गयी तथा 42 वर्षो से भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ज्यादा दान विलेख के आधार पर दानग्रहिता भूमि पर काबिज हे सिर्फ नामान्तकरण के गलत इन्द्राज से दानपत्र पर कोई प्रभाव नही पड़ता। आर. एल.डब्ल्यू 2015(1) आर.जे. 595 एस.सी. क्या खाता में नाम बदलने हेतु राजस्व प्राधिकारी के समक्ष दी गयी सहमति और इसके बाद नामान्तकरण प्रविष्ठियों को हक या स्वत्व को संसूचित या समाप्त नहीं करती तथा यह प्रविष्ठियां केवल राजस्व के संकलन हेतु सुसंगत है। आर.एल.डब्ल्यू 2006(2) आर.जे. 881 एस.सी. दस्तावेज के बारे में उपधारण यह उपधारणा कि पंजीकृत दस्तावेज प्रथम दृष्टया विधि में वैद्य हो सकते है। अभिनिर्धारित सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो उपधारणा का खण्डन करने का साक्ष्य पेश करता है। अपीलांट्स का अपील में उज्र है, कि अपीलांट्स को विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा साक्ष्य शपथ पत्रों में शपथ नहीं दिलाई गई। इसके बाबत अपीलांट्स का आरोप निराधार है क्योंकि प्रतिवादीगण की तरफ से जिरह करने कोई उपस्थित नहीं था तो मुख्य परीक्षण शपथ पत्र ही दावा की ताईद करेगा और विचारण न्यायालय ने पंजीकृत दानपत्र का गम्भीरता से अध्ययन किया है क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के मुताबिक जहां कोई दस्तावेज जिसका 30 वर्षो से पुरान होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से जिसे न्यायालय उस विशिष्टि मामले में उचित समझता है, पेश किया गया है, वहां न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसा दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित किया गया है इसलिए दस्तावेज पर अगर प्रदर्श भी नहीं डाला गया तो कोई फर्क नही पड़ता है। अपीलांट पूर्व में दो दावों उनवानी कालूराम, भूराराम, गोगाराम बनाम नरसाराम आदि फैसला दिनांक 07.02.2004 मुकदमा नम्बर 89/1999 व भूराराम बनाम कालूराम निर्णय दिनांक 13.07.1995 मुकदमा नम्बर 232/1992 का हवाला देकर अंकित किया है कि नरसाराम कालूराम ने अपने जवाब दावें में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उतराधिकार में संपति मिलने का अंकन किया है जबकि उक्त दोनों दावों में दावा मैरिट व गुणावगुण पर तैयार नहीं हुए है तथा न्यायालय के समक्ष दिये गये गलती से जवाबदावा को शपथ के आधार पर न्यायालय के समक्ष तैयार नहीं हुए है इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री पर कोई प्रभाव नहीं डालते है। नानगराम तो कालूराम और नरसाराम को दानपत्र दिनांक 05.11.1971 में ही कर चुके थे तथा अन्य भाईयों को ज्ञान था इसलिए विवादग्रस्त भूमि को उतराधिकार में प्राप्त करना कैसे कहां जायेगा। आर.एल. डब्ल्यू 2016(2) रेवेन्यू 1284 एस.सी. साक्ष्य अधि. की धारा 35 नामान्तकरण की प्रविष्ठियां का लक्ष्य मूल्य राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थी के नाम का वाद संपति पर स्वत्व हासिल करने का दावा करने का आधार नहीं बन सकती। प्रविष्ठियां रिकार्ड के प्रयोजनार्थ है अथवा उनकी शुद्वता संसूचित नहीं। डी.एन. जे. 2021(2) रेवेन्यू 1245 के अनुसार भी नामान्तकरण एक फिसिकल प्रोसिडिंग है, स्वत्व व अधिकारी प्रदान नहीं करते इसलिए गलती से नामान्तकरण के आधार पर कालूराम व नरसाराम ने भूमि को उतराधिकार स्वरूप प्राप्त करना अंकित कर दिया तो दानपत्र की कोई काट नहीं होती है। जब नानगराम साल 1978 में मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनके पास विवादग्रस्त संपति का कोई हक अधिकार ही नहीं था जो पूर्व में ही स्वामित्व व अधिकार हस्तान्तरण कर चुके थे इसलिए गलत आधारों पर की गई स्वीकृति कभी कानूनी रूप धारण नहीं कर सकती। अपीलांट्स विवादग्रस्त भूमि में विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2008 भूराराम के वारिसान मालीराम व रामावतार से खरीदना अपीलांट्स ने बतलाया है। गोगाराम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 12.05.2008 को पुरूषोतम, अजय कुमार, सुनिल शर्मा एंव विष्णु को विक्रय करना तथा अजीत सिंह द्वारा अपने पुत्र बसन्तलाल को दिनांक 27.06.2008 को विक्रय पत्र करवाने का उल्लेख किया है जो अपने आपको केता होना बताया है। उनको नरसाराम व कालूराम के वारिसानों के अधिकार हक व कब्जे की भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता क्योंकि नानगराम ने सन् 1971 में भूमि अपने दोनो पुत्रों को आधी–आधी दान देकर कब्जा सौप दिया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उसके बाद नानगराम की मृत्यु के बाद विवादित भूमि ही उनकी नहीं थी तो फौतगी नामान्तकरण गलत भरा गया था जिससे नानगराम के पुत्रान भूराराम, गोगाराम और अजीत को विवादित भूमि में कोई अधिकार नामान्तकरण से प्राप्त नहीं हुए तो उनके वारिसान को भी कोई अधिकार नहीं पैदा होते, सिर्फ गलत नामान्तकरण के आधार पर करवाये गये विक्रय पत्र शून्य थे जिससे अपीलांट्स को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए। आर.एल.डब्ल्यू 2006(2) पेज 1694 में यही प्रतिपादित किया गया है कि विक्रय विलेख के निष्पादन के दौरान निष्पादिति में स्वत्व के अभाव में विक्रय अवैद्य था। आर.एल.डब्ल्यू 2013(2) पेज 1353 आर.जे. असल मालिक की संपति को अन्य कोई विक्रय कर देता है तो क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। डी.एन.जे. 2021(1) पेज 717 भूमि का स्वत्व व अधिकार रखने वाला पूर्व में विक्रय संपति का दोबारा किसी को विक्रय कर देता है तो दोबारा करवाये जाना विक्रय पत्र अवैद्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2019(1) पेज 393, आर.एल.डब्ल्यू 2019(3) पेज 2618, आर.एल.डब्ल्यू 2009(2) आर.जे. पेज 1291, आर.एल.डब्ल्यू 2008(1) पेज 420, आर.एल.डब्ल्यू 2018(1) पेज 595, आर.एल.डब्ल्यू 2006(2) पेज 881, आर.एल.डब्ल्यू 2016(2) रेव. पेज 1284, डी.एन.जे.2021(2) पेज 1245, आर.एल.डब्ल्यू 2006(2) पेज 1694, आर. एल.डब्ल्यू 2013(2) पेज 1353, डी.एन.जे. 2021 (1) पेज 717 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विधि के प्रावधानों के अनुसार सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 123 के अनुसार अचल सम्पति के दान से अन्तरण के लिए रजिस्टर्ड विलेख होना व न्यूनतम दो गवाहान द्वारा प्रमाणित होना व साबित होना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा 3 मे अनुप्रमाणित को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार दो या अधिक गवाहान द्वारा अन्तरण विलेख का निष्पादन निष्पादककर्ता द्वारा हस्ताक्षर या विलेख पर अपना चिन्ह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
एटेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति मे अंकित करना व उक्त गवाहान द्वारा अन्तरण विलेख को सत्यापित करना आवश्यक है। दावे की धारा 2 मे जमीन गत खसरा नम्बर 594/1 व गत खसरा नम्बर 594/2 हाल खसरा नम्बर 2685 रकबा 2.26 हैक्टर वांके कस्बा झुन्झुनूं होना व इस जमीन को नानगराम द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 नरसाराम व प्रतिवादी नं. 1/रेस्पोडेन्ट नं. 2 मृतक कालूराम को दान मे देने का कथन किया। उक्त कथन के समर्थन मे दावे मे यह दर्ज नही किया कि धारा 123 सम्पति अन्तरण अधिनियम के अनुसार तथाकथित दान पत्र को किस किस गवाहान ने सत्यापित किया। दान पत्र के कथन को साबित भी नही किया गया और न ही दान पत्र के बाबत गवाहान पेश किये गये। दान पत्र के आधार पर दावे का आधार बताया गया है। कथन को साबित करने के लिए नियमानुसार साक्ष्य पेश किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में आदेश 13 नियम 4 सि.प्र.सं. की पालना नही की गयी व दस्तावेजात पर प्रदर्श नही डाले गये। इस सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टांत 2022 (1)**RRT 68** पर सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि बिना प्रदर्श अंकित किये दस्तावेज को साक्ष्य मे नही पढ़ा जा सकता। आदेश 18 नियम 4 सि.प्र.सं. के अनुसार निर्णय मे दर्ज शपथ पत्र पेश नही किये गये। शपथ पत्रो मे न्यायालय द्वारा या सक्षम अधिकारी द्वारा शपथ नही दिलवायी गयी व न निर्णय मे दर्ज गवाह अधिनस्थ न्यायालय मे साक्ष्य के लिए उपस्थित हुये। इस प्रकार दावे का आधार तथाकथित दान पत्र साक्ष्य अधिनियम के द्वारा न प्रमाणित हुआ व न ही प्लीड किया गया। विचारण न्यायालय ने निर्णय मे दावा डिक्री किये जाने के लिए वैध आधार दर्ज नही किया। अभिवचन का विवेचन नही किया व नही दस्तावेजी साक्ष्य पर प्रदर्श डाले गये व न विवेचन किया। मुख्य परीक्षण के लिए शपथ जरूरी है व गवाहान की उपस्थिति जरूरी है। **AIR 2015** गोवाहाटी पेज 120 व **2015 RBJ** पेज 385 पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " **Code of civil procedure, 1908- Order 18 rule 4 When witness was not examined his affidavit cannot be taken on record. In absence of cross examination, said affidavit is**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

a waste paper. Admittedly, the petitioner under the provisions of order XVI Rule 1 C.P.C. summoned the said witness Atma Ram and thereafter, for some reason chose not to examine him. However thereafter after almost three weeks, he produced an affidavit sworn almost four months back on 29-09-2014 before the Trial Court seeking to produce the same under order XVI Rule 4 C.P.C. i.e. his affidavit as examination in chief. Once the fact that the witness who was summoned by the petitioner himself and had been dropped was available before the Trial Court an affivavit which was sworn before the said date could not have been permitted to be produced, at least under order XVI Rule 4 C.P.C. so as to thereafter to be used by the petitioner as an affidavit of the said witness. Even otherwise the said affidavit in absence of any cross examination of said witness, that also on his production at the instance of the petitioner, was simply a waste paper Writ petition dismissed. अर्थात जब गवाह परीक्षित नही किये गये तो शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर नही लिया जाना चाहिये। इस सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2010(2)RRT Page 981 में अभिनिर्धारित किया है कि " Evidence Act, 1872-Secs. 60&65 – admissibility of document-contents of documents required to be proved – mere admission of document & marking exhibit on document in evidence does not dispense with its proof- contents of the document cannot be proved by merely filing in the court. इसके अनुसार साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 व 65 के अनुसार दस्तावेजात की विषयवस्तु को साबित करना आवश्यक है केवल प्रदर्श डाले जाने से दस्तावेज साबित नही होता। प्रस्तुत प्रकरण मे विचारण न्यायालय ने वादी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 के दस्तावेजात पर न

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रदर्श डाले व न ही रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने साक्ष्य मे साबित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2005 RBJ** पेज 46 में अभिनिर्धारित किया गया है कि " **CODE OF CIVIL PROCEDURE 1908- ORDER 41 RULE 31 court should pass judgment on each issue separately after discussing evidence on record.** यह सिद्वान्त भी प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक विवाद बिन्दु पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये। विचारण न्यायालय ने विवाद बिन्दु के अनुसार विवेचन कर निर्णय पारित नही किया। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 26.08.2015 को आगामी पेशी दिनांक 4.11.2015 दी गयी थी। उक्त आदेशिका को काटकर अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये ही पत्रावली मे पेशीयां दी जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई जबकि दी गई पेशी दिनांक 04.11.2015 के लिए नोटिस बोर्ड पर आगामी पेशी दिनांक 11.01.2016 दी गयी थी। इस पेशी से पूर्व बिना सूचना के निर्णय व डिक्री पारित की गयी। दिनांक 07.10. 2015 को प्रतिवादी नं. 2 कालूराम के बाबत आदेश 22 नियम 4 सि.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र को बिना नोटिस जारी किये ही उसी रोज स्वीकार कर लिया व बिना नोटिस जारी किये ही निर्णय व डिक्री पारित कर दी। तथाकथित शपथ पत्र दिनांकित 29.06.2015 को टाईप करवाना व सत्यापित करवाना व नोटेरी से सत्यापित करवाना अंकित है। दिनांक 29.06.2015 को विवाद बिन्दु ही कायम नही हुये थे। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (जैन्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स ने दस्तावेजी साक्ष्य मे दावे निर्णय आदि प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की जिससे यह साबित है कि दान पत्र का तथ्य गलत है व पूर्व मे बटवारा हो चुका था व सारभूत तथ्यो को छुपाकर दुर्भावनापूर्वक गलत दावा किया है। इस सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टांत **2004 RBJ** पेज 589 में अभिनिर्धारित किया गया है कि " **RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955 SECTION 88 AND 53 When fact of partition of land admitted by the father of appellant defendant and proved by documentary evidence first appellate court rightly dismissed the appeal.** अर्थात पूर्व मे बटवारा होने पर पुनः बटवारे का दावा लाने का हक नही है विचारण न्यायालय ने इस पर कोई विवेचन नही कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है। **AIR 2010** पटना पेज 189 पर यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने से वास्तविक वाद कारण पैदा नही होता और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग है व दावा आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. के तहत खारिज किया जाना चाहिये। उक्त प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य से रेस्पोडेन्ट नं. 1/वादी की स्वीकृति तथाकथित दान पत्र न होने के बाबत है व अभिवचन मे स्वीकृति न्यायिक स्वीकृति मानी जायेगी। यह सिद्वान्त **AIR 2019** कर्नाटक पेज 188 व **AIR 1981** पेज 2085 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि स्वीकृति सबसे अच्छी साक्ष्य है और पक्षकार अपनी स्वीकृति से पाबन्द है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य अभिवचन दावे, निर्णय व इस बाबत जबाब दावे मे कथन का खण्डन न होते हुये भी बिना विवेचन के विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर विधिक भूल की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्व में दावा संख्या 232/1992 उनवानी भूराराम बनाम कालूराम, अजीतसिंह, गोगाराम व नरसाराम पुत्रगण नानगराम व राजस्थान सरकार दावा घोषणार्थ व विभाजन पेश किया। इस दावें में विवादित जमीन उन्हे उत्तराधिकार में पूर्वजों के मिलना व आपस में मौके पर विभाजन करना दर्ज किया। इस दावे का जवाब दावा नरसाराम जो अपील में रेस्पोडेंट नम्बर 1 वादी ने दिया जिसमें यह स्वीकार किया कि विवादित जमीन उत्तराधिकार में पूर्वजो से मिलना माना और जवाब दावें के साथ नजरी नक्शा पेश किया जिसमे भाईयों द्वारा बंटवारा मौके पर होना दर्ज किया जिस पर भी रेस्पोडेंट 2 नरसाराम के हस्ताक्षर है। इसके बाद एक दावा संख्या 89/1999 उनवानी कालूराम, भूराराम व गीगाराम पुत्र नानगराम, नरसाराम व अजीतसिंह पुत्र नरसाराम, राजस्थान सरकार दावा घोषणार्थ व विभाजन चला। इस दावे के वादीगण द्वारा दावे में विवादित जमीन पैतृक होना व प्रत्येक भाईयों का हिस्सा बराबर होना व मौके पर विभाजन होना दर्ज किया। इसका जवाब दावा रेस्पोडेंट 1 वादी नरसाराम ने न्यायालय में दिया व अपने जवाब दावें में भूमि पैतृक होना माना व प्रत्येक भाईयों का हिस्सा माना है। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 01 वादी ने पूर्व में जवाब दावा पेश किया उसमें विवादित भूमि पैतृक होना व भाईयों का हिस्सा होने के तथ्य को स्वीकार किया है। रेस्पोडेंट संख्या 01 नरसाराम अपनी इस स्वीकारोक्ति से पाबन्द है। रेस्पोडेंट संख्या 01/वादी ने अपने उक्त दोनों जवाब दावों में कहीं भी दान पत्र का उल्लेख नही किया न ही दान पत्र के आधार पर विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा होने का कथन किया। रेस्पोडेंट संख्या 2 नरसाराम व उसके भाईयों में सन् 1992 मे विवादित जमीन के बाबत विवाद न्यायालय में चला। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी अपनी उक्त स्वीकारोक्ति से पाबन्द है। अब उसके विपरीत कथन नही कर सकता है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है रेस्पोडेंट संख्या 2/नरसाराम ने तथाकथित दान पत्र सन् 1971 का बताया है इसके बाद नानगराम की मृत्यु के बाद नानगराम के सभी पुत्रों के नाम नामान्तकरण दर्ज हुआ व सन् 1992

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के न्यायालयों में दावे चले उन सब कार्यवाही में उक्त दान पत्र के बाबत को उल्लेख नही किया व न इस आधार पर क्लेम किया है। इतने सालो से इस बाबत मौन क्यो रहे. इस बाबत भी दावें में उल्लेख नही किया है। अपनी स्वीकारोक्ति के बाबत भी दावें कोई उल्लेख या स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इन सब बातो को रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी अपने दावें में छुपाया है। इस दावा के पश्चात नया दावा विधि अनुसार पोषणीय नही था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विवेचन नही किया है। इस सन्दर्भ में सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 में स्पष्ट प्रावधान है कि " **Decree against plaintiff by default bars fresh suit – (1) Where a suit is wholly or partly dismissed under rule 8 the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action. But he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfies the court that there was sufficient cause for his non appearance when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit.** विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में इन प्रावधानों पर कोई विवेचन नही किया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी का वाद पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों से साबित नही है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नही मानी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी खारिज किया जाता है।

भूप्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 28-9-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना),
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

डिक्री व सिविल अपील
आर्डर 41रूल 35 जाब्ता दीवानी
Civil Procedure Code Appendix "G"9
अज अदालत राजस्व अपील अधिकारी सीकर
बइजलास श्री धारा सिंह मीना, आर.ए.एस

1 अजीतसिंह पुत्र नानगराम।
2 बसन्तलाल पुत्र अजीतसिंह समस्त जाति माली निवासीगण फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
3 अजय कुमार पुत्र बुदराम।
3/1 श्रीमती जीवणी पत्नी बुद्वराम।
3/2 श्रीमती सजना पत्नी अजय कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।
3/3 योगेश पुत्र अजय कुमार।
3/4 अनुज पुत्र अजय कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण इस्लामपुरा तहसील व जिला झुंझुनू नाबालिगान जरिये वलिया कुदरती मां श्रीमती सजना पत्नी अजय कुमार जाति जाट निवासी इस्लामपुर तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नरसाराम पुत्र नानगराम जाति माली निवासी फौज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 मृतक कालुराम पुत्र नानगराम जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू नोट दौराने दावा देहान्त हो गया।
2/1 बसेसर पुत्र कालुराम जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2/2 मृतक कैलाश पुत्र कालुराम जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू नोट दौराने देहान्त हो गया।
2/2/1 श्रीमती कृष्णा पत्नी कैलाश।
2/2/2 पंकज पुत्र कैलाश।
2/2/3 मोहित पुत्र कैलाश समस्त जाति माली निवासीगण फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

2/2/4 रीतु पुत्री कैलाश जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू नाबालिग जरिये वलिया कुदरती श्रीमती कृष्णा पत्नी कैलाश जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू माता खुद।

2/3 ओमप्रकाश पुत्र कालुराम।

3 मालीराम पुत्र भूराराम जाति माली निवासी फोज का मोहल्ला झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

4 ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार।

5 परमानन्द पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति कुमावत पेशा व्यापार निवासीगण झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

6 अशोक कुमार पुत्र रामनिवास जाति महाजन पेशा व्यापार निवासी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

7 पुरूषोतमलाल पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी अशोक नगर तहसील व जिला झुंझुनू।

8 सुनिल पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

9 विष्णु चौधरी पुत्र हरिप्रकाश जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 15 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

10 श्रीमती किरण देवी पत्नी पवन कुमार जाति जांगिड़ निवासी के.डी. सिल्वर 1039/68 देवाराम पार्क त्रिनगर नई दिल्ली 110035।

11 श्रीमती पिंकी बेरीवाल पत्नी प्रदीप कुमार जाति महाजन निवासी 28 ज्यानकी विधामन्दिर वार्ड नम्बर 13 मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

12 श्रीमती सुमन शर्मा पत्नी पवन कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

13 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील झुंझुनू जिला झुंझुनू।

14 नगर परिषद जरिये आयुक्त नगर परिषद झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

15 श्रीमती सुनिता पुत्री अजीत सिंह पत्नी सीताराम जाति माली निवासी पढ़ाऊवाली ढ़ाणी तन डुण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नियमित अपील संख्या 02/2016 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू बाबत रेवन्यू दावा संख्या 122/2013 उनवानी नरसाराम बनाम मृतक कालूराम वगैरह।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री धारा सिंह मीना आर.ए.एस. बहाजरी श्री विजयपाल वास्ते अपीलांट एवं श्री उम्मेदराज सैनी वास्ते रेस्पोडेंट।

हुक्म दिया जाता है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी खारिज किया जाता है।

डिक्री आज दिनांक 28-9-16 को जारी की गई।

हस्ताक्षर
मोहर

नियमित अपीलकार	रूपया	पैसे	गैरनियमित अपीलकार	रूपया	पैसे
स्टाम्प नियमित अपील		00	स्टाम्प क्रोस अपील		00
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प वकालतनामा		00
नियमित अपील हुकमनामा		00	नियमित अपील हुकमनामा		00
वकील फीस बाबत		00	मेहनताना अपील		00
मीजान			मीजान		

हस्ताक्षर
मोहर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)